न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या — 103/2018

निर्णय दिनांक— 26.10.2018

उनवान

1.धारासिंह पुत्र जगदीश जाति मीना निवासी समरावता तहसील उनियारा जिला टोक
2.लोटन्ता पुत्री जगदीश जाति मीना निवासी समरावता तहसील उनियारा जिला टोक
3.सुनिता पुत्री जगदीश जाति मीना निवासी समरावता तहसील उनियारा जिला टोक
4.मोबिना पुत्री जगदीश जाति मीना निवासी समरावता तहसील उनियारा जिला टोक
5.नाराजी पुत्री जगदीश जाति मीना निवासी समरावता तहसील उनियारा जिला टोक
6.दिलराज पुत्र जगदीश जाति मीना निवासी समरावता तहसील उनियारा जिला टोक

—वादीगण

बनाम

1. हरपाल पुत्र छोगा जाति मीना निवासी समरावता तहसील उनियारा जिला टोक
2. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
3. उप पंजीयन अधिकारी उनियारा जिला टोंक

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारे हक, उदघोषणास्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— 1.श्री हरिराज सिहं नरूका वकील वादीगण
2.श्री इकबाल अहमद वकील प्रतिवादी न0 1

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी न0 1 के स्वामित्व व आधिपत्य की पैतृक आराजी ख0न0 1150/137, 129, 130, 17, 196, 198, 333, 346, 356, 357, 388, 650, 95, 976, 977 कुल किता 15 कुल रकबा 15.03 है0 वाके ग्राम समरावता तहसील उनियारा मे स्थित है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी न0 1 की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात है। प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी हिन्दु समुदाय के व्यक्ति है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पत्ति मे सम्बन्धित व्यक्ति का मां के गर्भ से ही हक व अधिकार होता है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान मे प्रतिपक्षी न0 1 के नाम राजस्व रेकार्ड मे खातेदारी मे दर्ज है। इस कारण वादग्रस्त आराजीया तमे प्रार्थीगण का प्रतिपक्षी न0 1 के समान ही पूर्ण हक व अधिकार निहित है। प्रतिपक्षी न0 1 वृद्व हो चुका है तथा शराब पीने लगा है तथा अब मानसिंक संतुलन भी ठीक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

नही रहता है। इस कारण अन्य व्यक्तियों के बहकावे मे आकर वादग्रस्त आराजी को रहन बैचान के जरिये खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर हकाई जुताई करने गये तो प्रतिपक्षी न0 1 अंजान व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त आराजी पर आया तथा उसको विक्रय करने पर बातचीत करने लगा। विरोध करने पर वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने व भूमि को रहन, बैचान करने की धमकी दी। इस कारण उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

यह कि वादीगण की अधियाचना है कि प्रतिपक्षीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द ता फैसला वाद पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वर्णित आराजीया तमे प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे ना भूमि को रहन बैचान हस्तान्तरण आदि करे। प्रतिपक्षी न0 2 ता फैसला वाद मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रतिपक्षी न0 3 उक्त आराजीयात से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का पंजीयन तस्दीक नही करे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर का प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी न0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिपक्षी न0 1 के तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात ह, जिस पर प्रतिपक्षी बतोरे मालिक व स्वामी काबिज काश्त है। प्रार्थीगण व उनके पिता जगदीश का कोई लेना देना या सम्बन्ध नही है। प्रतिपक्षी न0 1 ने उक्त आराजीयात स्वयं क्रय कर स्व अर्जित की है। जिस पर किसी अन्य का कोई कब्जा काश्त नही है। पक्षकारान मीना समाज के व्यक्ति है, जिसमे प्रथा लागू होती है तथा उन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। प्रतिपक्षी न0 1 वृद्व व्यक्ति है, जिस पर अपनी पत्नी व अपनी पुत्रियों की जिम्मेदारी है, जिसका लालन पोषण व भरण पोषण उक्त आराजीयात पर होने वाली पैदावार की आय से होता है। प्रार्थीगण व उनका पिता जगदीश प्रतिपक्षी न0 1 के साथ आये दिन मारपीट करता था तथा दुर्व्यव्हार करता था। ऐन केन प्रकारेण उक्त आराजीयात पर कब्जा करके बैचान करना चाहता है, ना ही प्रतिपक्षी न0 1 व उसकी पत्नी की सेवा सुश्रषा करता है और ना ही देखभाल करता है और ना ही अपनी बुआ व बहिनों को समय पर भात आदि मे खर्चा करता है। सिर्फ उक्त आराजीयात पर कब्जा करके भूमि को बैचान करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिपक्षी न0 1 खातेदार काश्तकार मालिक स्वामी है। जिस पर कब्जा प्रतिपक्षी न0 1 का ही है। इसलिये खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। कब्जा प्रतिपक्षी न0 1 का होने के कारण कब्जे के अभाव मे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का उक्त केस प्राईमाफैसाई तोर पर ही साबित नही है और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति प्रतिपक्षी न0 1 को ही अधिक होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के दादा के नाम होने से वह अन्य व्यक्ति को बैचान व रहन करना चाहता है। अतः प्रतिपक्षी न0 1 को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावे।

प्रतिपक्षी न0 1 के वकील ने जवाब दावे के तथ्यों का दोहरान करते हुये बहस मे तर्क पूर्ण कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिपक्षी न0 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की है तथा स्व अर्जित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात पर जबरन कब्जा कर रहन बैचान करना चाहते है। प्रतिपक्षी न0 1 वृद्व है तथा उस पर पारिवारिक पूरी जिम्मेदारिया है। प्रतिपक्षी वकील ने दोहराने बहस 2013 (2) डीएनजे राज0 हाई कोर्ट पेज 626 सीमा बनाम रामेश्वरलाल का उद्वरण प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जे व खर्चे के खारिज किया जावे।

उभय पक्षों के वकील की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया । नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 वाके ग्राम समरावता मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 1150/137, 129, 130, 17, 196, 198, 333, 346, 356, 357, 388, 650, 95, 976, 977 कुल किता 15 कुल रकबा 15.03 है0 हरपाल पुत्र छोगा हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0 देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जे के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है जबकि प्रतिपक्षी न0 3 ने वादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जे के सम्बन्ध मे शंकरलाल, रामपाल व कन्हैयालाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। वादग्रस्त आराजी प्रतिपक्षी न0 1 की खातेदारी की होने से प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे न होकर प्रतिपक्षी न0 1 के पक्ष मे है। 2013 (2) डीएनजे राज0 हाई कोर्ट पेज 626 सीमा बनाम रामेश्वरलाल का प्रस्तुत दृष्टान्त के अनुसार माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.2.13 को अभिमत पारित किया है कि सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश नियम 1, 2, धारा 151 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 6 अस्थायी निषेधाज्ञा–नाबालिग बालिका द्वारा दादा पिता व चाचा के विरूद्व विभाजन हेतु वाद–अभिवाक कि पैतृक सम्पत्ति मे वादिया का भी अधिकार है–वाद माता पिता के बीच वैवाहिक विवाद का उत्पाद है–सम्पत्ति का स्वत्व दर्शाने हेतु दस्तावेज पेश नही किया –सम्पत्ति के प्रबन्ध हेतु कर्ता के अधिकार मे हस्तक्षेप करने हेतु सहदायिकी हकदार नही है–दादा अविभाजित हिन्दु परिवार का कर्ता है–निर्णित अपील मे सार नही है व खारिज की है। इस प्रकार यदि प्रतिपक्षी न0 1 को उक्त वादग्रस्त आराजी से पाबन्द कर दिया जावेगा तो वह अपने जायज हक से मेहरूम हो जावेगा तथा प्रतिपक्षी न0 1 को ही अपूर्णीय क्षति होगी।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है। दिनांक 23.7.2018 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर.ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner